


रुपजीत सिंह

10-7-19

10-7-19 प्राचीन मम वकील प्राचीन उपस्थित ।  
प्राचीन की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि  
कि प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही चाहेते हो  
ना ही प्रकरण को चलाना चाहेते है। प्राचीन के  
प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र वाबत  
अस्थायी निवेदाशा खारीज किया जाता है। पत्रा-  
वली फैसल नुमाए होकर नम्बर से कम होकर  
दाखिल दफतर हो ।

  
( अंजु शर्मा )  
सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना